



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-70 / 2019

दिनांक : 23.09.2019

परिपत्र

विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों, केंद्राध्यक्षों एवं निदेशकों से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के परिनियम की धारा 14 (1) (K) जो निम्नानुसार है, के अंतर्गत विद्या-परिषद में विद्यार्थी प्रतिनिधियों को नामित करने के लिए अपने विभाग/केंद्र के स्नातकोत्तर तथा शोधार्थी वर्ग से एक-एक विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाम दिनांक 27.09.2019 तक कुलसचिव कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

Statute 14 (1) (K) : Two students representatives, to be nominated by the Vice Chancellor on merit basis, one from among the Research Scholars and other from the post graduate students from the various Schools/Departments of the University, on rotation basis.

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव) 23/09/19

प्रति :

समस्त विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र (ईमेल द्वारा)

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा)
3. विश्वविद्यालय वेबसाइट
4. संबंधित पत्रावली